

सवा में,

21 R-T-I

जन सूचना अधिकारी
छावनी परिषद् आगरा

CEO	MM
OS	E
Dt	18 JAN 2017
DIARY NO.	767

विषय - सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के तहत सूचना हेतु

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना देने की कृपा करे -

1. दुकान नंबर A-17, शोपिंग आर्केड, सदर बाज़ार के कुछ हिस्से को जो बीस साल पुराना था, अवैध निर्माण बताकर छावनी परिषद् द्वारा तोड़ दिया गया । कृपया इस सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय के अनुमति जो बीस साल पुराने निर्माण को तोड़ने के लिए नियमानुसार अवश्यक है, की एक प्रतिलिपि देने की कृपा करे ।
2. पूर्व में छावनी परिषद् द्वारा इस तथाकथित अवैध निर्माण के सम्बन्ध में जारी सभी नोटिसो की एक प्रतिलिपि देने की कृपा करे ।
3. 20 साल से पुरानी अवैध निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय के नियम की एक प्रतिलिपि देने की कृपा करे ।

10/- रु का पोस्टल आर्डर संगलन है ।

(हिमांशु सघदेवा)

बंगला नंबर -48

गोपी चंद शिवहरे रोड, सदर बाज़ार

आगरा कैंट -202001

दिनांक- 18/1/2017

ईमेल: ceoagra@yahoo.com
वेबसाइट: www.cbagra.org.in
दूरभाष: 0562-2227275, 2227379
फैक्स: 0562-2227380



सं-68/आर.टी.आई-21/सी.बी.ए./2017/ 328
कार्यालय छावनी परिषद
114 फतेहपुर सीकरी रोड
आगरा - 282001
दिनांक 15 फरवरी, 2017

सेवा में,


श्री हिमांशु सचदेवा
बंगला नंबर - 48
गोपीचंद शिवहरे रोड, सदर बाजार
आगरा कैंट

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत डायरी संख्या- 767 दिनांक 18.01.2017
व आवेदन संख्या : 21 के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्र दिनांक 18.01.2017 में शोपिंग आर्केड, सदर बाजार आगरा छावनी में स्थित अवैध निर्माण को तोड़ने से सम्बन्धित जो सूचना आपके द्वारा माँगी गई थी उससे सम्बन्धित सूचना महानिदेशालय रक्षा सम्पदा, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पत्र की छाया प्रति आप किसी भी कार्यशील दिवस में कार्यालय से इस पत्र की प्राप्ति के सात दिन के अन्दर प्राप्त कर सकते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दुकान संख्या ए-17 शोपिंग आर्केड, सदर बाजार, गोपीचंद शिवहरे मार्ग आगरा छावनी के पीछे सर्वे संख्या 514 आगरा छावनी पर पूर्व में स्थित अतिक्रमण 6 फुट ऊँची दिवार व टीन सैड के रूप में किया हुआ था।

सूचना पावती प्रेषित है।


केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
छावनी परिषद, आगरा
(डा० अशोक कुमार शर्मा)

Sent by Leon Bank